कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रावली संख्या 305
पंजिका संख्या 29 M
19/01/24

पत्रांक– 1341 /12–1 :देहरादूनःदिनांकः 6 जनवरी, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25, सुभाष रोड़,
देहरादून।

AE II / Aman
F.No-305/29 M/19/01/24

**विषयः– जनपद–नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी में गारम लछमपुर को मोटर मार्ग निर्माण से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डामरीकरण एवं सूखी नदी पर 60 मीटर स्पान स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.08 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/20084/2016)**

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–08बी/यू0सी0पी0/06/218/2016/एफ0सी0/841 दिनांक 22.09.2023.

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय सूचना चाही है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक–1617/12–1 दिनांक 29–12–2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसे प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा–2.4(i) के अनुसार, विधिवत स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने के क्रम में भारतीय वन धिनियम, 1878 की धारा 28 के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना संख्या–869–एफ/638 दिनांक 17.10.1993 द्वारा बेनाप भूमि को रक्षित वन भूमि घोषित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1566/14–2–97–800 (1)1997 दिनांक 17.03.1997 द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गयी है जिसमें यह उल्लेख है कि अधिसूचित सभी बेनाप भूमि या बन्जर भूमि "रक्षित वन" होने के कारण इस पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधान लागू होंगे, पत्र की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)** उक्त शासनादेश के अनुसार समस्त बेनाप भूमि या बन्जर भूमि को रक्षित वन घोषित होने के कारण पुनः अधिसूचना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।
2	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह एन0पी0वी0 की शेष राशि को कैम्पा कोष में जमा कराया जाना सनिश्चित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में एन0पी0वी0 की अवशेष धनराशि रू0 3,58,322.00 मात्र कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–2)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या– 1341 / 12–1 तद्दनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।